आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

भूमि विवाद निराकरण अपीलवाद सं0-32/2024

सुबन्धु सिंह...अपीलकर्त्ता

बनाम्

अनिल सिंह एवं अन्य ....विपक्षी

09.08.2024

आदेश

प्रस्तुत B.L.D.R. अपीलवाद भूमि विवाद निराकरण वाद सं0-44/2022-23 सुबन्धु सिंह बनाम अनिल सिंह वगैरह में दिनांक 11.05.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता-अनुस्थित है। अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी एक ही खानदान से संबंधित है, जिनके पूर्वज पहले ही अलग हो चुके है। उभय पक्ष को आपसी बँटवारा से भूमि प्राप्त है, जिसके बँटवारा एवं नापी को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सब जज-2, छपरा के समक्ष बँटवारा वाद सं0-71/1956 के द्वारा उभय पक्ष के मध्य सुलहनामा बँटवारा के आधार पर वाद का निष्पादन किया गया था। परन्तु बँटवारा भूमि के संबंध में अंचल अमीन द्वारा किए गए पैमाइस पर उभय पक्ष के बीच विवाद है।

निम्न न्यायालीय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्ष के बीच प्रश्नगत भूमि के पैमाइस को लेकर विवाद है तथा इस संबंध में अंचल अधिकारी, सिधवलिया को विवादित भूमि की पैमाइस नियमानुसार कराते हुए सीमांकन कराने का स्पष्ट आदेश अंकित है। परन्तु अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि की पैमाइस कराए बगैर अपरिपक्व (immature) अवस्था में वाद इस स्तर पर लाया गया है।

उपर्युक्त, वर्णित कारण से प्रस्तुत अपीलवाद को ग्रहण के बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।